भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 374

जिसका उत्तर 03.02.2022 को दिया जाना है

कार में छह एयरबैग के प्रावधान के लिए प्रस्ताव

374. श्री असादुद्दीन औवेसीः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार इस वर्ष अक्टूबर से आठ लोगों तक बैठने की क्षमता वाली सभी कारों में छह एयर बैग अनिवार्य करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस कदम के पीछे औचित्य/उद्देश्य क्या हैं और इस संबंध में एसआईएएम द्वारा उठाई गई चिंताओं पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) इस मंत्रालय ने का.का.नि. 1483 (अ) दिनांकित 7 दिसंबर, 2017 के माध्यम से ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस) 145 के अनुसार ड्राइवर के लिए एयरबैग की आवश्यकता को अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय ने नए मॉडलों के मामले में 01 अप्रैल, 2021 को और उसके बाद निर्मित वाहनों और मौजूदा मॉडलों के मामले में 31 अगस्त, 2021 तक निर्मित मॉडलों के लिए समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 145 के अनुसार, वाहन की आगे की सीट पर चालक के बगल में बैठे यात्री के लिए, एक एयरबैग के अनिवार्य प्रावधान के संबंध में, सा.का.नि 148 (अ) दिनांकित 2 मार्च, 2021 को अधिसूचित किया है। हालांकि, कोविड 19 महामारी के कारण, इस मंत्रालय ने सा.का.नि. 595 (अ) दिनांकित 26 अगस्त 2021 के माध्यम से मौजूदा मॉडलों पर एयर बैग्स लगाने की तिथि को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 14 जनवरी, 2022 के सा.का.नि 16 (अ) के तहत अधिसूचित किया है कि 01 अक्टूबर 2022 के बाद निर्मित एम 1 श्रेणी के वाहनों में दो साइड/साइड टोरसो एयर बैग और दो साइड कर्टेन/ट्यूब एयर बैग्स लगाए जाएंगे, जिनमें से आगे की सीट पर आउटबोर्ड सीटिंग पोजीशन में बैठे प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक-एक साइड/साइड टोरसो एयर बैग हो और आउटबोर्ड सीटिंग पोजीशन पर बैठने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक-एक साइड कर्टेन/ट्यूब एयर बैग्स हो। इसे वाहन सवारियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अधिसूचित किया गया है। तीस दिनों की अवधि के भीतर सभी हितधारकों से टिप्पणियां और आपत्तियां मांगी गई हैं।

*****